





5

एलपीजी

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीसी) एक पर्यावरण अनुकूल इंधन है जिसका उपयोग व्यापक रूप से घरेलू रसोइयों, उद्योगों तथा व्यापारिक संस्थानों में किया जाता है। इस अध्याय में घरों में खाना बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली गैस के बारे में ही चर्चा की जायेगी।

उत्पाद - एलपीजी

एलपीजी का अर्थ है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमारे द्वारा एलपीजी की मार्केटिंग की जाती है जिसका ब्रांड नाम 'एलपीजी गैस' है और यह भारतीय मानक ब्यूरो के स्पेसिफिकेशन संख्या आईएस 4576 के अनुरूप है। इसे सामान्य प्रेशर में वायुमण्डलीय तापमान पर आसानी से लिक्विफायड किया जा सकता है। शुद्ध एलपीजी रंगहीन तथा गंधहीन होती है। तथापि इसे मिश्रित किया जाता है जिसके कारण इसकी गंध विशिष्ट हो जाती है ताकि रिसाव होने पर यह आसानी से पता लग जाए।

एलपीजी इंस्टॉलेशन

घरेलू रसोइयों में एक सिलिंडर, प्रेशर रेग्यूलैटर, एलपीजी होज तथा गैस स्टोव के सहयोग से एलपीजी का उपयोग किया जाता है। ये सभी उपकरण निम्नलिखित मानकों के अनुसार होने चाहिए :

क्र.सं.	उपकरण	मानक
1	एलपीजी सिलिंडर	आईएस 3196 (पार्ट 1) : 2006 तथा आईएस 3196(पार्ट 3)
2	प्रेशर रेग्यूलैटर	आईएस 9798 : 1995
3	सुरक्षा एलपीजी होज	आईएस 9573 : 1998
4	गैस स्टोव	आईएस 4246 : 2002

वर्तमान में पीएसयू तेल कम्पनियों द्वारा 14.2 कि.ग्रा. और 5 कि.ग्रा. क्षमता वाली सिलिंडरों में घरेलू उपयोग हेतु बनाई गई एलपीजी का मार्केटिंग किया जा रहा है। पीडीएस तथा गैर पीडीएस के अंतर्गत सिलिंडर की पहचान इनके रंगों से की जा सकती है। घरेलू सिलिंडरों का रंग सिग्नल



लाल होता है जबकि सिग्नल लाल बैंड के साथ ऑक्सफोर्ड नीले रंग वाले सिलिंडरों में बिना सब्सिडी वाली गैस भरी रहती है जिसका उपयोग व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थानों में किया जाता है ।

सिलिंडर पर टैयर/कुल वजन, परीक्षण तारीख, क्रमांक, आयएसआय मोनोग्राम, तेल मार्केटिंग करने वाली कम्पनी का नाम तथा लोगो, निर्माण वर्ष इत्यादि अंकित रहता है / इन्हें पेन्ट द्वारा लिखा गया होता है। प्रत्येक प्रेशर रेग्युलेटर (पीआर) आर क्रमांक भी लिखा रहता है ।

तरल एलपीजी सामान्य वायुमण्डलीय दबाव पर बाष्प में बदल जाता है और सिलिंडर से वायु गैस के अनुपातिक मिश्रण में तापमान बाहरप्रवाहित होकर गैस स्टोव के बर्नर हेड तक जाता है जो माचिस से जलाने पर जल जाता है ।

भारत में एलपीजी मार्केटिंग हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली

भारत सरकार द्वारा निर्धारित या नियंत्रित कीमत पर तेल सार्वजनिक कम्पनियों द्वारा घरेलू रसोई घरों में रसोई इंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली एलपीजी का विपणन किया जाता है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 7.3.2014 के अनुसार 1.4.2014 से प्रभावी प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता एक वित्तीय वर्ष के दौरान सब्सिडी दर पर 14.2 कि.ग्रा. क्षमता वाले 12 सिलिंडरों/ 5 कि.ग्रा. के 34 सिलिंडरों के लिए हकदार हैं। आम तौर पर प्रत्येक महीने हर लाभ उपभोक्ता को केवल एक सिलिंडर दिया जायेगा। सब्सिडी वाले अधिकृत सिलिंडरों के उपयोग के बाद उपभोक्ता घरेलू नॉन सब्सिडी दर पर एलपीजी सिलिंडर का लाभ उठा सकते हैं।

भारत सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए बनी नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलिंडरों के संबंध में भी वीएटी में रियायत तथा सीमा व उत्पाद शुल्क की छूट दी है जिसके कारण यह गैर घरेलू / व्यापारिक एलपीजी सिलिंडरों की तुलना में सस्ता है ।

निम्नलिखित श्रेणियों के गैर घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले एलपीजी सिलिंडरों का हकदार बनने के लिए घरेलू उपभोक्ता के समरूप माना जायेगा :-

- किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने वाले सरकारी/नगर पालिका अस्पताल ।
- सभी स्कूलों/कॉलेजों की आपूर्ति हेतु चाहे वे इसका उपयोग होस्टल या मिड-डे मील बनाने के लिए करें ।
- सरकारी कार्यालयों में कैन्टीन (सरकारी अर्थात राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय एवं उनके संस्थान और गेस्ट हाऊस इत्यादि)
- रसोई घरों के अलावा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा सीआयएसएफ के मेस एवं डिफेन्स



संस्थानों में।

- कॉ-ऑपरेटिव सोसायटीज अधिनियम के अंतर्गत को-ऑपरेटिव आधार पर चलाई जाने वाली कैन्टीन ।
- स्कूल, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों की प्रयोगशालाएं ।
- सोसायटीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान ।
- रेड क्रॉस सोसायटी की सभी शाखाएं ।

गैर घरेलू व्यापारिक, औद्योगिक, ऑटोमॉटिव इत्यादि के उपयोग हेतु एलपीजी नॉन सब्सिडी कीमत पर बेची जाती है ।

वितरण नेटवर्क

देश में एलपीजी ग्राहकों को सेवा मुहैया करवाने के लिए तेल सार्वजनिक उपक्रम कम्पनियों के वितरकों का व्यापक नेटवर्क है । वितरकों के नेटवर्क का विस्तार करते रहना एक निरन्तर प्रक्रिया है। वर्तमान में सार्वजनिक वितरक संघटनों के दो प्रकार हैं अर्थात् नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशीप और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी) आम विज्ञापनों के माध्यम से वितरकों की नियुक्ति की जाती है। हमारे वेबसाइट : www.hindustanpetroleum.com पर पात्रता मापदण्ड तथा चयन प्रक्रिया का विवरण उपलब्ध है ।

सेवाएं

एलपीजी ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं निम्नानुसार हैं :

1. नए एलपीजी कनेक्शन तथा अतिरिक्त सिलिंडर रिलीज करना (डबल बोतल कनेक्शन)
2. एलपीजी रिफिल करने के लिए बुक करने की सुविधाएं ।
3. रिफिल डिलिवरी - सिलिंडर डिलिवरी के दो तरीके अपनाएं गए हैं ।

क. एलपीजी वितरक उनके संबंधित क्षेत्रों में पंजीकृत पते पर रहने वाले ग्राहकों को भरा हुआ सिलिंडर डिलिवर करते हैं और खाली सिलिंडर वापस लेते हैं । केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही ग्राहक नगद भुगतान करके भरा हुआ सिलिंडर (कैश एण्ड कैरी) ले जा सकते हैं । (नॉन होम डिलिवरी) और वे 'कैश-एण्ड-कैरी' आपूर्ति के लिए लागू रिबेट पाने के हकदार हैं ।

ख. आरजीजीएलव्ही ग्राहकों को निर्धारित आरएसपी स्थित एलपीजी स्टोरेज गोदाम से भरा



हुआ सिलिंडर लेना पड़ता है। ग्राहक 'कैश-एण्ड-कैरी' आपूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के रिबेट के लिए हकदार नहीं है।

4. एलपीजी कनेक्शन का अंतरण/समापन - जब एक ग्राहक का वितरक के क्षेत्र सेवा कारणों से दूसरे क्षेत्र में अपना आवास स्थानान्तरण करता है।
5. एलपीजी कनेक्शन सुरक्षित रखना : पाइपड नैच्यूरल गैस (पीएनजी) ग्राहक 'रेटिक्यूलेटड' सिस्टम के माध्यम से एलपीजी उपयोग करने वाले ग्राहक और ऐसे ग्राहक जो काफी लम्बे समय के लिए सिलिंडर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, वे वितरक को अपना एलपीजी सिलिंडर / सभी सिलिंडर या डीपीआर सौंप सकते हैं और सिक्यूरिटी राशि के रिफण्ड के साथ 'सेफ कस्टडी' वाउचर हासिल कर सकते हैं।
6. कनेक्शन से संबंधित नाम में परिवर्तन : एलपीजी कनेक्शन धारक की मृत्यु होने या कुटुंब से उसके चले जाने पर अन्य व्यक्ति के नाम पर दस्तावेज में एलपीजी कनेक्शन नियमित करने तथा प्रमाणिक एलपीजी उपकरण (सिलिंडर/डीपीआर) के संबंध में कनेक्शन नियमित बिना दस्तावेज एलपीजी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
7. प्रीफर्ड टाइम डिलिवरी : एलपीजी वितरक ग्राहकों विशेषकर नौकरीशुदा महिलाओं और पुरुषों के लिए 'प्रीफर्ड टाइम एलपीजी डिलिवरी स्कीम' की सुविधा मुहैया करवाता है जो एक छोटी सी राशि अदा करके अपनी सुविधानुसार एलपीजी रिफिल की डिलिवरी प्राप्त कर सकते हैं।
8. एलपीजी गैस वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की समय सीमा :

सेवा	शर्तें	समय सीमा
नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन का पंजीकरण	क. 18 वर्ष की उम्र से अधिक ख. पीडीएस या पीएनजी कनेक्शन के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कनेक्शन न होने की स्थिति में ग. वितरक द्वारा दी जाने वाली सेवा से संबंधित क्षेत्र में निवास करने पर घ. निवास प्रमाण व पहचान प्रमाण जमा करने पर, अपने ग्राहक को जाने (केवायसी) से संबंधित फार्म प्रस्तुत एवं जमा करने पर #	तत्काल

नए कनेक्शन/डीबीसी रिलीज करना/लगाना	<p>क. उपभोक्ता का अवसर आने पर वितरक द्वारा इस संबंध में लिखित सूचना ।</p> <p>ख. निवास एवं पहचान प्रमाण जमा किए जाने पर</p> <p>ग. मानक घोषणा पत्र जमा करने पर</p> <p>क. सिक्यूरिटी संबंधी राशि जमा करने पर</p> <p>ख. निर्धारित शुल्क अदा करने के बाद हॉट प्लेट की जांच (एलपीजी वितरक के अलावा अन्य स्रोत से खरीदने पर) ##</p> <p>ग. इन्टर/इन्ट्रा आयल कंपनी डी डुप्लिकेशन चेक **</p>	7 कार्य दिवस
रिफिल बुकिंग	पिछली रिफिल बुकिंग लंबित न होने की स्थिति में	तत्काल
रिफिल की डिलिवरी	स्टॉक की उपलब्धता	7 कार्य दिवस
रिसाव संबंधी शिकायत	पिछली रिफिल बुकिंग लंबित न होने की स्थिति में	तत्काल
टीव्ही (अंतरण वाउचर) बनाना तथा सिक्यूरिटी राशि का रिफण्ड	<p>क. लिए गए उपकरण (सिलिंडर / सभी सिलिंडर/पीआर अच्छी स्थिति में लौटाना</p> <p>ख. एसव्ही की मूल प्रति जमा करना (यदि एसव्ही खो गया हो तो इस संबंध में हलफनामा) #</p>	एक कार्य दिवस



<p>मृत्यु होने पर नाम परिवर्तन</p>	<p>क. नए एलपीजी कनेक्शन हेतु यथा लागू पात्रता ख. ग्राहक का मृत्यु प्रमाणपत्र ग. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/मानक घोषणा पत्र घ. निवास व पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना एवं जमा करना, अपने ग्राहक को जाने (केवायसी) फॉर्म जमा करना । ङ. मूल ग्राहक द्वारा उपयोग में लायी गई सब्सिडी वाले सिलिंडरों के बाद केवल शेष सिलिंडरों की पात्रता ट्रांसफर किए जाने वाले व्यक्ति को दी जायेगी । च. संतोषजनक डी-डुप्लिकेशन जांच **</p>	<p>एक कार्य दिवस</p>
<p>कुटुंब के सदस्य के नाम पर कनेक्शन अंतरण/ नियमानुकूलन</p>	<p>क. नए एलपीजी कनेक्शन हेतु यथा लागू पात्रता ख. ग्राहक का सहमति पत्र ग. मानक घोषणा पत्र # घ. निवास व पहचान प्रमाण पत्र का प्रस्तुतिकरण एवं जमा, अपने ग्राहक को जाने (केवायसी) फार्म जमा करना ङ. मूल ग्राहक द्वारा उपयोग में लायी गई सब्सिडी वाले सिलिंडरों के बाद केवल शेष सिलिंडरों की पात्रता ट्रांसफर किए जाने वाले व्यक्ति को दी जायेगी । च. संतोषजनक डी-डुप्लिकेशन जांच **</p>	<p>एक कार्य दिवस</p>



* सदैव दो कार्य दिवस के भीतर डिलिवर करने का प्रयास किया जाता है लेकिन परिस्थितियों को छोड़कर जो हमारे वश में नहीं है जैसे प्राकृतिक आपदा, हड़ताल, वाहन की खराबी, सरकारी अनुदेश, सिलिंडर की कमी इत्यादि ।

** एक कुटुंब केवल एक ही सब्सिडी वाले एवं पीजी कनेक्शन के लिए हकदार है । उपभोक्ता द्वारा दी गई जानकारी की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए ओएमसी द्वारा इन्टर / इन्ट्रा आयल कंपनी डी-डुप्लिकेशन चेक किया जायेगा । यदि उपभोक्ता द्वारा दी गई कोई जानकारी गलत पायी जाती है तो कनेक्शन रद्द कर दिया जायेगा और सिक्यूरिटी जमा राशि जब्त कर ली जायेगी । इस तरह के उपभोक्ता के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार एचपीसीएल के पास सुरक्षित है।

वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com पर दस्तावेज के फॉरमेट उपलब्ध हैं ।

हमारे वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com पर अनुमोदित सिक्यूरिटी जमा राशि, टैरिफ तथा सेवा शुल्क की दरें उपलब्ध हैं ।

ग्राहक संबंध :

ग्राहक अपने एलपीजी कनेक्शन से संबंधित शिकायत या सुझाव देने तथा किसी भी शंका समाधान के लिए प्रातः 8 से शाम 8 के बीच टोल फ्री नं.1800 2333 555 पर संपर्क कर सकते हैं ।

एचपीसीएल के पास 32 एलपीजी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय समय के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में ग्राहक सेवा कक्ष कार्यरत है। क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्राहक सेवा कक्ष भी सभी कार्यदिवस में कार्यालयीन समय के दौरान कार्य करता है । ग्राहक इस कक्ष से टेलीफोन के जरिए सहायता/शिकायत निवारण हेतु संपर्क कर सकते हैं या वहां जा सकते हैं । कक्ष का विवरण डिस्ट्रीब्यूटर के पास तथा हमारे वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com पर भी उपलब्ध है ।

ग्राहक अपनी शिकायतों/प्रश्नों के समाधान के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप से पूर्व निर्धारित दिन को अपने आवधिक दौरे के दौरान बिक्री अधिकारी से मिल सकते हैं ।

आकस्मिक सेवाएँ :

गैस रिसाव तथा अन्य शिकायतों के मामले में वितरक तत्काल सहायता प्रदान करते हैं । रिफिल कैश मेमों पर टेलीफोन क्रमांक लिखे होते हैं, वितरक शो रूम में भी दर्शाए जाते हैं तथा यह तेल कंपनियों के वेबसाइटों पर उपलब्ध होते हैं । रिसाव की शिकायतों को दूर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दी गई सेवाएं मुफ्त होती हैं ।



ग्राहक से अपेक्षाएं :

एलपीजी का उपयोग करते समय प्रयोक्ता द्वारा सुरक्षित प्रचालन उपायों का अनुपालन करना आवश्यक है। उपाय नीचे दिए गए हैं :

उपयोग के सरल नियम

- सिलिंडर को सदा वर्टिकल स्थिति में, ऊष्मा के किसी स्रोत से दूर तथा हवादार स्थान पर रखा जाना चाहिए।
- गर्म प्लेट को सदा सिलिंडर के लेवल के ऊपर प्लेटफार्म (अज्वलनशील धातु से बने) पर रखा जाना चाहिए।
- स्टोव का जब उपयोग न हो तो विशेषकर गति में प्रेशर रेगुलेटर को बंद करना हमेशा याद रखें। कभी भी खुद सिलिंडर या सहायक उपकरण को छेड़-छाड़ या मरम्मत करने का प्रयास न करें।
- स्थापना के सभी पुर्जों को सही स्थिति में रखना सुनिश्चित करें, किसी भी हिस्से में कुछ गलत लगता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के प्रशिक्षित मैकेनिक को बुलाएं।
- किचन में कार्य करते समय कॉटन के कपड़े पहनें। दुपट्टा, साड़ी या कपड़े का बर्तनों को इधर-उधर करने के लिए किया गया उपयोग आग लगने का कारण हो सकता है।
- भोजन बनाते समय अग्नि रोधक एप्रन पहनना सुरक्षित उपाय है।
- भोजन पकाते समय बच्चों को इंस्टॉलेशन से दूर रखा जाए।
- केवल आईएसआई निशान वाले हॉट प्लेट का उपयोग करें।
- उपयोग के समय हॉटप्लेट को खुला न छोड़े क्योंकि भोजन सामग्री के ओवर फ्लो या हवा के झोंकों से बर्नर फ्लेम की आग बुझ सकती है। इससे बर्नर से गैस का रिसाव हो सकता है। बंद गैस दूसरे/प्रचालन में अन्य बर्नर या किसी अन्य अग्नि स्रोत के संपर्क में आ हो सकती है और आग लग सकती है।
- फ्राइ पैन/ प्रेशर कुकर इस तरह से रखा जाए ताकि उसका हैंडल फ्लेम से दूर रहे।
- प्लास्टिक की वस्तुएं गैस स्टो से दूर रखें।
- एलपीजी कनेक्शन में सबसे कमजोर कड़ी रबर ट्यूब है। इसमें यदि कोई क्रैक / क्षति का



पता चले तो इसे तत्काल बदल दें तथा इसकी नियमित जांच करते रहना चाहिए । एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा दिए गए 'सुरक्षा' एलपीजी हॉस की सिफारिश इसकी सुरक्षा विशेषताओं में वृद्धि एवं लम्बे जीवन के लिए किया जाता है । आवश्यक उपयोग के लिए रबर ट्यूब आईएसआई स्वीकृत होना चाहिए ।

- नियमानुसार हर दो वर्षों में रबर ट्यूब और हर पांच वर्षों में 'सुरक्षा' एलपीजी होज़ बदल देना चाहिए।
- अनुपयुक्त सिलिंडर के वाल्व पर हमेशा सेकटी कैप लगा देना चाहिए चाहे वह भरा हो या खाली हो।

रिफिल डिलीवरी के समय :

रिफिल डिलीवरी लेते समय ग्राहक को सिलिंडर के सील तथा वजन की स्थिति से अपने को संतुष्ट कर लेना चाहिए । एक बार सील, सही वजन और अच्छी दशा के साथ सिलिंडर की पावती रसीद ले लेने के बाद इसके बारे में विवाद को कोई स्कोप नहीं रहेगा । डिलीवरी करने वाला आदमी ग्राहक की उपस्थिति में सील तोड़ता है और जांच करता है कि सिलिंडर उपयोग के लिए ठोस एवं फिट है । ग्राहक को सिलिंडर को रेगुलेटर से जुड़वा लेना चाहिए तथा उचित रूप से कार्य करने के लिए स्थापना की जांच कर लेना चाहिए चाहे वह अतिरिक्त सिलिंडर ही क्यों न हो । एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के डिलीवरी करने वाले आदमी के पास वजन करने का स्केल रहता है । कृपया, इसे प्राप्त करने के पूर्व हर बार अपने सिलिंडर का वजन करवा लें ।

एलपीजी स्थापना का निरीक्षण :

ग्राहकों को वर्ष में एक बार प्रशिक्षित मैकेनिक द्वारा अपने एलपीजी स्थापना अनिवार्य निरीक्षण के लिए जोर डालना चाहिए । यह सेवा आयल कंपनी की स्वीकृत आवश्यक प्रभार के भुगतान पर उपलब्ध होती है। इससे घरेलू स्थापना को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है ।

रिसाव होने पर :

कदाचित रिसाव के मामले में या गैस की दुर्गंध आने पर :

- प्रेशर रेगुलेटर नॉब को 'ऑफ' पोजीशन में घुमा दें ।



- रसोईघर से सभी अग्नि समर्थित वस्तुओं को बाहर कर दें (पूजा लैंप तथा अगरबत्ती इत्यादि)
- माचिस की तीली/लाइट न जलाएं। किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को 'ऑन' एवं 'ऑफ' न करें (मेन स्विच सहित)। याद रखें इलेक्ट्रिकल स्विच तथा ड्राइ सेल टार्च ऑन या ऑफ करते समय स्पार्क करते हैं।
- हवा के आने जाने के लिए सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल दें ।
- कार्यालय अवधि और रविवार एवं अवकाश के दिन डिस्ट्रिब्यूटर/आकस्मिक सेवा कक्ष से संपर्क करें ।

दुर्घटना होने पर :

सभी पंजीकृत एलपीजी ग्राहक तेल सार्वजनिक कंपनियों द्वारा ली गई बीमा पालिसी के अंतर्गत आते हैं।

दुर्घटना के किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने पर ग्राहक को वितरक को लिखित रूप से सूचित करना चाहिए। डिस्ट्रिब्यूटर तब संबंधित आयल कंपनी और बीमा कंपनी को इसके बारे में सूचित करे । वितरक द्वारा दुर्घटना से निकलने वाले बीमा दावों की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सहायता का प्रस्ताव दिया जाएगा ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सभी एलपीजी वितरकों के पास एलपीजी दुर्घटना की स्थिति में हानि को पूरा करने के लिए तीसरी पार्टी देयता बीमा भी होता है ।

ग्राहक दायित्व :

- ग्राहक उन्हें जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन के अंतर्गत लागू नियम व शर्तों से का पालन करें। यह विवरणिका वाऊचर के पीछे छपा रहता है और कनेक्शन जारी करते समय प्रस्तुत शपथ पत्र में निहित होता है।
- एलपीजी का उपयोग करते समय ग्राहक को सुरक्षित उपायों का अनुपालन अवश्य करना चाहिए।
- ग्राहकों को अपने पंजीकृत एलपीजी वितरक के अलावा किसी व्यक्ति, स्रोत से एलपीजी सिलिंडर नहीं लेना चाहिए ।



- ग्राहकों को उन्हें दिए गए सिलिंडर/डीपीआर को किसी से अदला-बदली या अन्य को उधार नहीं देना चाहिए क्योंकि दूसरे सिस्टम में अपनी तरह का खतरनाक सिलिंडर/डीपीआर आने की संभावना बनती है। खतरनाक सिलिंडर /डीपीआर कठोर गुणवत्ता मानकों एवं महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरों की पुष्टि नहीं करते।
- ग्राहकों को इंधन बचत के लिए एलपीजी का उपयोग करते समय उपभोग टिप्स का अनुपालन करना चाहिए। उपयोग टिप्स www.hindustanpetroleum.com पर उपलब्ध है।
- एलपीजी का उपयोग भारत सरकार के एलपी गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियम) आदेश द्वारा विनियमित किए गए हैं। इस आदेश के अनुसार :

एलपीजी कनेक्शन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकारी आयल कंपनी द्वारा घर के किसी प्रौढ़ सदस्य के नाम ही जारी किया जाता है। 'घर' अर्थात् एक परिवार जिसमें पति, पत्नी, अविवाहित बच्चों और एक इकाई के रूप में साथ रहने वाले माता-पिता, जिनका एक कॉमन रसोईघर हो।

सरकारी आयल कंपनी के घरेलू एलपीजी कनेक्शन का कोई वर्तमान ग्राहक, जो पीएनजी कनेक्शन पाने का इच्छुक है तो इसे पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने की तिथि से साठ दिनों के अंदर घरेलू गैर-सब्सिडी प्राप्त श्रेणी में परिवर्तित कर लेना चाहिए अथवा घरेलू एलपीजी को वापस कर देना चाहिए।

- एक घर में एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों, चाहे वह एक ही आयल कंपनी का हो अथवा दूसरी आयल कंपनी का हो, केवल एक ही कनेक्शन रख सकते हैं। यदि कोई अतिरिक्त कनेक्शन है तो उसे वितरक को वापस कर देना चाहिए और अपनी जमा राशि प्राप्त कर लेना चाहिए।
- जब और जैसे ग्राहक पाइपड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन या एलपीजी कनेक्शन अपने घर के लिए 'रेटिकूलेटेड' सिस्टम के माध्यम से प्राप्त करता है तो वर्तमान घरेलू एलपीजी कनेक्शन को वितरक को वापस कर देना चाहिए। वितरक द्वारा 'सुरक्षित कस्टडी' के लिए 'टीवी' जारी किया जाएगा और जमा राशि वापस कर दी जाएगी। इसका विस्तृत विवरण वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com पर दिया गया है। पीएनजी ग्राहक फिर भी एलपीजी कनेक्शन रख सकते हैं किन्तु इसके लिए वे केवल गैर-सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलिंडर ही उपयोग में ला सकते हैं।